राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2963/2023

पंकज महर्षि **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव (गृह), गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. महानिदेशक एवं कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री बृज राज सिंह राठौड, उप कमांडेंट सामान्य (सेवानिवृत्त), होम गार्ड्स, राजस्थान, जयपुर R/o प्लाट नं. 5, कैलाश नगर, झोटवाडा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.10.2023
आदेश की दिनांक : 24.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री शोभित तिवाडी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री नवनीत जोशी, प्रभारी अधिकारी
प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से : श्री अभिषेक पारीक, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 05.06.2008 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वीकार की गई द्वितीय/तृतीय अपील की कार्यवाही घोषित किया जावे अथवा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के द्वारा

प्रस्तुत किया गया अभ्यावेदन जो एपीएआर वर्ष 2012–13 की प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, को अपास्त फरमाया जावे। एपीएआर वर्ष 2012–13 में 10 वर्ष बाद प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाते हुये अपग्रेड 'अच्छा' की गई है, उसे नियम विरूद्ध घोषित करते हुये अपास्त की जावे और अपीलार्थी को बिना कोई अवसर दिये हुये निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को रिक्ति वर्ष 2013–14 से वर्ष 2017–18 के विरूद्ध डिप्टी कंमाडेंट जनरल के पद पर पदोन्नति को विधि विरूद्ध मानते हुये निरस्त किया जावे और अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से ऊपर वरिष्ठता में उचित मानकर उसे डिप्टी कंमाडेंट जनरल, होमगार्ड के पद पर यथावत रखा जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ आदेश दिनांक 09.04.2023 के अनुसार प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अगस्त, 1996 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से डिप्टी कमाण्डेंट होमगार्ड के पद पर चयनित हुआ और उसे वर्ष 2008 में कमाण्डेंट होमगार्ड के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी की संतोषजनक सेवायें रही। उसके विरूद्ध किसी तरह की कोई जांच लंबित नहीं है। दिनांक 30.09.2014 को रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध 2 डिप्टी कमाण्डेंट जनरल के पदों के लिये डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी को डीपीसी में वरिष्ठ नहीं पाया गया और श्री एलएनएस राठौड एवं श्री सुभाष यादव उक्त पदोन्नति के लिये पात्र थे, परंतु विभागीय जांच लंबित होने के कारण पदोन्नति नहीं की गई और उक्त डीपीसी में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री बृजराज सिंह राठौड के नाम पर विचार किया गया, परंतु उनके वर्ष 2011–12 की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के कारण चयन नहीं हुआ और उक्त डीपीसी में अपीलार्थी के नाम पर विचार करते हुये पदोन्नति प्रदान की गई तथा अपीलार्थी ने पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण किया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने उक्त पदोन्नति के संबंध में विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु उसके अभ्यावेदन को निरस्त कर दिया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त मामले के संबंध में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9121/2014 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को आदेश दिनांक 23.02.2017 के द्वारा स्वीकार की और एपीएआर वर्ष 2011–12 में प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाने का आदेश दिया, परंतु अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को डी.बी.

स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1233/2017 दायर की, जो आदिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। दिनांक 25.07.2017 को विभाग द्वारा उक्त पद के लिये रिक्ति वर्ष 2016–17 के लिये डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें श्री बृजराज सिंह राठौड निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की पदोन्नति को माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित होने के कारण पदोन्नति को रोक दिया गया और इसी दौरान दिनांक 25.07.2017 की डीपीसी में श्री एलएनएस राठौड दिनांक 01.10.2016 से डिप्टी कमाण्डेंट जनरल के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाये गये, जो निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री बृजराज से वरिष्ठ हैं। 3 माह पश्चात् दिनांक 18.10.2017 को पुनः रिव्यू डीपीसी की गई, परंतु श्री बृजराज सिंह के नाम पर रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया और दिनांक 18.10.2017 रिव्यू डीपीसी में रिक्ति वर्ष 2017–18 के लिये श्री बृजराज सिंह निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2017 के द्वारा निस्तारित कर श्री बृजराज सिंह के संबंध में उचित निर्णय लिये जाने हेतु निर्देश दिये और इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त मामले के संबंध में यह जानकारी होने पर कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की एपीएआर वर्ष 2012–13 में प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाया जा रहा है तो अपीलार्थी ने आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई और अपीलार्थी दिनांक 31.07.2021 से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री बृजराज सिंह राठौड भी दिनांक 31.10.2021 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। आरटीआई के माध्यम से उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 05.05.2023 को रिव्यू डीपीसी आयोजित की गई और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की एपीएआर वर्ष 2012–13 में प्रतिकूल प्रविष्टि को अपग्रेड करते हुये गुड (अच्छी) अंकित की गई और अपीलार्थी के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् की गई है, जो नियम विरूद्ध है तथा अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को सेवानिवृत्त हुये 2 वर्ष बीत जाने के बाद रिव्यू डीपीसी की जा रही है, जो नियम विरूद्ध है और जो अपीलार्थी को ग्रेड पे 8200 का लाभ दिया गया है, उसे परिवर्तित किया जा रहा है, जो नियम विरूद्ध है। उनका कथन है कि श्री आरएस कच्छावा जिनके द्वारा एस.बी.सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या 164/2022 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें उन्हें ग्रेड पे 8200 का लाभ दिया गया और आदेश दिनांक 09.04.2023 जिसमें स्पष्ट

होता है कि उन अधिकारियों जिनकी सेवा 18 वर्ष की पूर्ण सेवा नहीं है और डिप्टी कमाण्डेंट जनरल के पद पर 3 वर्ष का अनुभव भी नहीं रखते हैं उन्हें ग्रेड पे 8200 का लाभ नहीं दिया गया है। इसी प्रकार आदेश दिनांक 26.04.2023 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री बृजराज सिंह को दिनांक 01.08.2021 से 31.10.2021 तक ग्रेड पे 8200 का लाभ दिया गया। जबकि अपीलार्थी को अभी तक ग्रेड पे 8200 का लाभ नहीं दिया गया है और इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को नियम विरूद्ध उक्त ग्रेड पे का लाभ दिया गया है, जो विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 05.06.2008 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वीकार की गई द्वितीय/तृतीय अपील की कार्यवाही घोषित किया जावे अथवा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के द्वारा प्रस्तुत किया गया अभ्यावेदन जो एपीएआर वर्ष 2012–13 की प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, को अपास्त फरमाया जावे। एपीएआर वर्ष 2012–13 में 10 वर्ष बाद प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाते हुये अपग्रेड 'अच्छा' की गई है, उसे नियम विरूद्ध घोषित करते हुये अपास्त की जावे और अपीलार्थी को बिना कोई अवसर दिये हुये निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को रिक्ति वर्ष 2013–14 से वर्ष 2017–18 के विरूद्ध डिप्टी कंमाडेंट जनरल के पद पर पदोन्नति को विधि विरूद्ध मानते हुये निरस्त किया जावे और अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 से ऊपर वरिष्ठता में उचित मानकर उसे डिप्टी कंमाडेंट जनरल, होमगार्ड के पद पर यथावत रखा जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ आदेश दिनांक 09.04.2023 के अनुसार प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री बृजराज सिंह सेवानिवृत्त का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 में प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर राज्य सरकार के पत्र दिनांक 22.09.2017 द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टियों को यथावत रखा गया, परंतु राज्य स्तर पर विशेष बोर्ड गठन कर बोर्ड ने दिनांक 10.10.2022 द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटा दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरएस कच्छावा व अन्य बनाम राज्य के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 06.04.2023 द्वारा याचिकाकर्ताओं को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला ग्रेड पे 8200 स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में स्थरीकरण आदेश दिनांक 26.04.2023 श्री बृजराज सिंह, अपीलार्थी के आदेश रिव्यू

डीपीसी के अधीन रखे गये हैं और उक्त प्रकरण में रिव्यू डीपीसी में दिनांक 05.05.2023 को आयोजित की गई, जिसमें श्री बृजराज सिंह अपीलार्थी से वरिष्ठ होंगे, जिसके कारण ग्रेड पे 8200 का लाभ देय नहीं होगा। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका स्वीकार कर प्रतिकूल प्रविष्टि को अपग्रेड किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसकी पालना में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.10.2022 के द्वारा विशेष बोर्ड गठित कर प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाया गया और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को अपग्रेड किया गया। तदुपरांत निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के संबंध में रिव्यू डीपीसी आयोजित की गई। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 अपीलार्थी से पहले ही वरिष्ठ था और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित होने के कारण उसे पदोन्नति से वंचित रखा गया, परंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि को अपग्रेड करते हुये निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के संबंध में रिव्यू डीपीसी आयोजित कर उसे वरिष्ठ मानते हुये डिप्टी कमाण्डेंट जनरल के पद पर पदोन्नति दी गई तथा उक्त पद का वेतन ग्रेड पे 8200 का लाभ प्रदान किया गया, जो नियमानुसार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के जवाब का उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 के भाग 1 में प्रतिकूल प्रविष्टि को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.06.2008 के विरूद्ध जाकर हटाया गया है और वर्ष 2013–14 के लिये निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को दिनांक 01.09.2013 से डिप्टी कंमाण्डेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया है और अपीलार्थी को उक्त पद की ग्रेड पे 8200 के लिये अयोग्य किया गया है। अपीलार्थी दिनांक 31.07.2021 को सेवानिवृत्त हुआ और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को रिव्यू डीपीसी दिनांक 05.05.2023 के द्वारा अपीलार्थी से वरिष्ठ बनाया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी को ग्रेड पे 8200 के लिये अयोग्य माना गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2011–12

में पुनर्विचार करने हेतु दिये गये अभ्यावेदन को दिनांक 13.06.2014 को खारिज कर दिया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई और उक्त याचिका को स्वीकार किया गया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.02.2017 को डी.बी.स्पेशल अपील के तहत चुनौती दी गई, जो आज दिनांक तक लंबित है। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को रिव्यू डीपीसी के तहत वरिष्ठ बनाकर पदोन्नति प्रदान किया जाना नियम विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अगस्त, 1996 में राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से डिप्टी कमाण्डेंट होमगार्ड के पद पर चयनित हुआ और उसे वर्ष 2008 में कमाण्डेंट होमगार्ड के पद पर पदोन्नत किया गया। दिनांक 30.09.2014 को रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध 2 डिप्टी कमाण्डेंट जनरल के पदों के लिये डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी को डीपीसी में वरिष्ठ नहीं पाया गया और श्री एलएनएस राठौड एवं श्री सुभाष यादव उक्त पदोन्नति के लिये पात्र थे, परंतु विभागीय जांच लंबित होने के कारण पदोन्नति नहीं की गई और उक्त डीपीसी में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री बृजराज सिंह राठौड के नाम पर विचार किया गया, परंतु उनके वर्ष 2011–12 की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के कारण चयन नहीं हुआ और उक्त डीपीसी में अपीलार्थी के नाम पर विचार करते हुये पदोन्नति प्रदान की गई तथा अपीलार्थी ने पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण किया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने उक्त पदोन्नति के संबंध में विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु उसके अभ्यावेदन को निरस्त कर दिया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त मामले के संबंध में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9121/2014 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को आदेश दिनांक 23.02.2017 के द्वारा स्वीकार की और एपीएआर वर्ष 2011–12 में प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाने का आदेश दिया गया, परंतु अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को डी.बी.स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1233/2017 दायर की, जो आदिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। दिनांक 25.07.2017 को विभाग द्वारा उक्त पद के लिये रिक्ति वर्ष 2016–17 के

लिये डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें श्री बृजराज सिंह राठौड निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की पदोन्नति को माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित होने के कारण पदोन्नति को रोक दिया गया और इसी दौरान दिनांक 25.07.2017 की डीपीसी में श्री एलएनएस राठौड दिनांक 01.10.2016 से डिप्टी कमाण्डेंट जनरल के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाये गये, जो निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री बृजराज से वरिष्ठ हैं। 3 माह पश्चात् दिनांक 18.10.2017 को पुनः रिव्यू डीपीसी की गई, परंतु श्री बृजराज सिंह के नाम पर रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया और दिनांक 18.10.2017 रिव्यू डीपीसी में रिक्ति वर्ष 2017–18 के लिये श्री बृजराज सिंह निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया। जहां तक रिव्यू डीपीसी दिनांक 05.05.2023 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी से वरिष्ठ मानते हुये अपीलार्थी को ग्रेड पे 8200 का लाभ देने हेतु अयोग्य मानते हुये तथा अपीलार्थी की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 में 10 वर्ष पश्चात् अपग्रेड 'अच्छा' किये जाने तथा अपीलार्थी को अवसर दिये बिना डिप्टी कंमाण्डेंट जनरल के पद पर वर्ष 2013–14 से 2017–18 के लिये पदोन्नत किये जाने का प्रश्न है, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 वरिष्ठता में अपीलार्थी से वरिष्ठ हैं, परंतु निजी प्रत्यर्थी संख्या के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के आधार पर रिव्यू डीपीसी में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के नाम पर डिप्टी कमाण्डेंट जनरल के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया और उसके द्वारा उक्त मामले के संबंध में विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, परंतु उसे आदेश दिनांक 13.06.2014 के द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा निरस्त आदेश को निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9121/2014 बृजराज सिंह राठौड बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका को आदेश दिनांक 23.02.2017 के द्वारा स्वीकार करते हुये निम्नलिखित निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 में अपग्रेड करने हेतु निर्देश दिये गये :–

> *"In view of foregoing discussion, the writ petition deserves to succeed and is accordingly allowed. The impugned adverse remarks against the petitioner in his APAR of the year 2011-12 are expunged. The assessment of the petitioner for that year is ordered to be restored, if not as 'outstanding', at-least to the grading 'very good'. The order of*

the competent authority rejecting the representation of the petitioner is set aside. The petitioner would be entitled to all consequential benefits based on improved grading, consequential benefits entailing review consideration of his case for promotion, compliance whereof be made within a period of four months from the date a copy of this judgment is produced before the respondents."

एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.02.2013 के बिंदु संख्या 6 जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया है :–

''निर्णयो के विरूद्ध सभी विभागों को विभिन्न सेवा संवर्गों के लिये सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में अपीलीय बोर्ड का गठन करना होगा, जो विभागाध्यक्षों/ कार्डर नियंत्रण अधिकारी द्वारा ग्रेडिंग/टिप्पणी/मूल्यांकन में सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन पर लिये गये निर्णय की सुनवाई करेगा एवं सक्षम स्तर के अनुमोदन प्राप्त कर निर्णय होगा।''

उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र के पालनानुसार गृह विभाग के आदेश दिनांक 12.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.02.2012 व स्पष्टीकरण दिनांक 17.09.2013 के अनुसरण में गठित अपीलीय बोर्ड द्वारा अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटाकर 'अच्छा' अंकित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार हमारे मत में उक्त प्रक्रिया विधिवत नियमानुसार अपनाई जाकर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 में अपग्रेड किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की नियम विरूद्धता प्रकट नहीं होती है और वर्ष 2012–13 की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अपग्रेड होने के आधार पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 अपीलार्थी से वरिष्ठ हो जाने के आधार पर उसे डिप्टी कमाण्डेंट जनरल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है और पदोन्नति उपरांत अपीलार्थी उक्त पद का वेतन आदि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। जहां तक अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2017 को खंडपीठ में चुनौती दिये जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के एकलपीठ द्वारा पारित उक्त आदेश को अपीलार्थी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में चुनौती दी गई है, जो आज दिनांक तक लंबित है, परंतु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ आदेश की

क्रियान्विति को स्थगित किया गया। इस प्रकार उक्त आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदोन्नति के संबंध में अपनायी गई प्रक्रिया सही एवं उचित है तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.06.2023 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को डिप्टी कमाण्डेंट जनरल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 उक्त पद के वेतन ग्रेड पे 8200 का लाभ भी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में हम कोई बल नहीं पाते हैं। इसलिये अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य